कोर्ट फी Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES
कोर्ट फी Rs.5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
कोर्ट फी Rs.5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

P-30531
9-11-15

अध्यक्ष राजस्व मंडल
न्यायालय ~~अपर कलेक्टर~~ महोदय (भोपाल कैम्प) ग्वालियर

निग. / 3138-PBR-15 निगरानी क्र ....

जय कुमार जोशी आ. स्व. एल.एन. जोशी

नि–ई–2 / 355, अरेरा कालोनी, भोपाल .... निगरानीकर्ता / आवेदक

विरूद्व

अजय प्रकाश जैन आ. स्व. बाबूलाल जैन

निवासी– म.नं. ए–49 अलकापुरी, भोपाल .... प्रतिप्राथी / अनावेदक

सत्य प्रतिलिपि प्रकरण क्रमांक 5 / अपील / 15-16 टी.टी. नगर वृत्त

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी रा. टी.टी. भोपाल

जयकुमार जोशी V/s जय प्रकाश जैन ग्राम बावड़ियाकलां

(रिव्हेन्यू आर्डर शीट (अनुवृत्ति पत्र)

प्र.क्र. 5 / अपील / 15-16

2	3
प्रकरण पेश । – उभय पक्ष उपस्थित । – अपीलार्थी द्वारा म.प्र. भू– राजस्व संहिता 1959 की धारा 52 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के प्रकरण कमांक 22,23 / अ–3 / 14–15 में पारित आदेश दिनांक 28.09.2015 का राजस्व रिकार्ड में अमल न किये जाने हेतु अपील के अतिम निराकरण तक स्थगन आदेश जारी किया जावे । – अपीलार्थी के धारा 52 के आवेदन पर उभय पक्षों के तर्क श्रवण किये गये एवं प्रकरण में सलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया । – अधिनस्थ न्यायालय के प्रकरण कमांक 22,23 / अ–3 / 14–15 में पारित आदेश दिनांक 28.09.2015 के अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जा चुका है ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा चाहे गये स्थगन का कोई आचित्य प्रतीत नही होता है । अतः अपीलार्थी के धारा 52 के आवेदन अमान्य किया जाता है । प्रकरण मूल आवेदन पर तर्क हेतु । (हस्ताक्षर) 2/11/15 अनुविभागीय अधिकारी राज.परि.टी.टी.नगर भोपाल 20/11/15	(हस्ताक्षर)

741/15
सत्य प्रतिलिपि

R 3738-PMR/15

27.1.2016

आवेदक की ओर से श्री रतेश शर्मा अभिभावक ने उपस्थित होकर प्रकरण नहीं चलाने का अनुरोध किया गया। अनुरोध स्वीकार किया जाता है। प्रकरण नहीं चलाने के कारण समाप्त किया जाता है।

अध्यक्ष

Not Press